BCCI BULLETIN

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

Estd. 1926

Vol. XXXXIV | 30th October 2013 | No. 12

चैम्बर की 86वीं वार्षिक आमसभा संपन्न

मंच पर आसीन (बाँयें से दाँयें) श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष, श्री ए० के० पी० सिन्हा, महामंत्री, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, उपाध्यक्ष, श्री पी० के० अग्रवाल, अध्यक्ष, श्री शशि मोहन, उपाध्यक्ष, श्री सुभाष कु० पटवारी, नव निर्वाचित उपाध्यक्ष एवं श्री सुरेश राम, कार्यकारी सचिव। पीछे (बाँयें से दाँयें), क्रमशः सर्वश्री सच्चिदानन्द, संजीव खुराना, राज कुमार सराफ, श्याम सुन्दर हिसारिया, संतोष कुमार, अरविन्द मित्तल, विशाल टेकरीवाल, प्रदीप कुमार, सवल राम ड्रोलिया, राजेश जैन एवं राज कुमार।

आम सभा में उपस्थित चैम्बर के सम्मानित सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 86वीं वार्षिक आमसभा दिनांक 30 सितम्बर 2013 को संपन्न हुई जिसमें श्री पी० के० अग्रवाल सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री शशि मोहन एवं श्री सुभाष कुमार पटवारी उपाध्यक्ष तथा श्री मुकेश कुमार जैन कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। साथ ही श्री ए० के० पी० सिन्हा महामंत्री निर्वाचित हुए। वार्षिक आमसभा ने निम्नलिखित सदस्यों को चैम्बर की कार्यकारिणी समिति का सदस्य निर्वाचित किया– सर्वश्री अरविन्द मित्तल, अवधेश कुमार, दिनेश अग्रवाल, मनोज आनन्द, नवीन गुप्ता, प्रदीप कुमार, राज कुमार, राज कुमार सर्राफ, राजेश जैन, रोहित सिंह, सच्चिदानन्द, संजीव खुराना, सवल राम ड्रोलिया, श्याम सुन्दर हिसारिया, विशाल टेकरीवाल एवं संतोष कुमार। चैम्बर की वार्षिक आम सभा ने निम्नलिखित विषयों पर प्रस्ताव पारित किये यथा– उद्योग, उर्जा, वैट, नगर विकास, श्रम, रेलवे, सूचना का अधिकार आदि।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने उन्हें एक बार पुनः अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए राज्य के समस्त उद्यमियों एवं व्यवसायियों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके पूरी टीम का यह प्रयास होगा कि राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर कराया जा सके। साथ ही राज्य के अधिकाधिक उद्यमियों एवं व्यवसायियों को चैम्बर से जोड़ सकें।

राज्य के विकास में पूरा सहयोग करेगा बीसीसीआई

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि बिहार के औद्योगिक विकास एवं आर्थिक उन्नति के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में चैम्बर सरकार के साथ पूरा सहयोग करेगा।

दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बाद श्री अग्रवाल ने कहा कि उद्योग के लिए जमीन उपलब्ध कराने में चैम्बर सरकार और उद्यमियों के बीच कड़ी का काम करेगा। इसके अलावा चैम्बर उद्योग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करवाने की पूरी चेष्ट करेगा। उन्होंने बताया कि राज्य के व्यापारियों को अभी भी वाणिज्य कर विभाग से मतभेद है। उन सभी मतभेद को दूर करने का चैम्बर पूरा प्रयास करेगा। इसके अलावा राज्य सरकार से मांग की जाएगी कि व्यापारियों को वाणिज्य कर विभाग से मिलने वाला रोड परमिट डी-VIII, डी-IX एवं डी-X को मिलाकर एक प्रपत्र निर्गत करे, ताकि व्यापारियों को ज्यादा परेशानी नहीं हो।

(साभारः हिन्दुस्तान, 27.9.2013)

बिहार में निवेश का सही समय : सीएम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 30 सितम्बर 2013 को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में हुई उद्यमी पंचायत में मुख्य रूप से मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की समस्याएं और उनकी सहूलियत पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि सेक्टर के बाद मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का बिहार की अर्थव्यवस्था में काफी महत्व है। उन्होंने उद्योग विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में बिहार में किस-किस तरह की संभावनाएं हैं और उसे हासिल करने के लिए क्या किया जाए। यह जानने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए। उद्यमी पंचायत के बाद औद्योगिक विकास आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि अगले तीन दिनों के भीतर इस समिति का गठन कर दिया जाएगा। समिति तीन माह के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों का आह्वान किया कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश का अभी श्रेष्ठ समय है। इस दौरान उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में रघुराम राजन समिति की संस्तुतियों पर भी अपनी बात कही।

औद्योगिक विकास आयुक्त ने बताया कि विशेषज्ञ समिति में राज्य सरकार के अधिकारियों के अतिरिक्त उद्यमियों के संगठनों के प्रतिनिधि और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पर्षद के लोग शामिल रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि निवेश प्रोत्साहन पर्षद की अगली बैठक 19 अक्टूबर को मुंबई में हो रही है। आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने सेक्टर के हिसाब से चलने वाले कौशल विकास कार्यक्रम की भी चर्चा की। उद्यमी पंचायत के दौरान यह बात सामने आई कि बिहार में हाल के दिनों में अब तक छह हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इसमें पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश अकेले बिहार के उद्यमियों ने किया है। इस क्रम में उद्यमियों को यह बताया गया कि बिहटा में रेडिमेड वस्त्र उद्योग व आइटी सेक्टर के लिए जमीन उपलब्ध है। इस दौरान उद्यमियों को निजी औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में सरकार के फैसले के बारे में भी जानकारी दी गई। मोकामा व रोहतास में निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने के संबंध में उद्योग विभाग को प्रस्ताव मिले हैं। लोहा उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके उत्पादों की मांग जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से वे लोग आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार की औद्योगिक नीति में विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधता के प्रावधान नहीं है। प्लास्टिक उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनसे जुड़े उद्योग में मोल्ड को मशीनरी के संबंध में परिभाषित किया जाए। प्लाइवुड उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके लिए समय पर लकड़ी के नीलामी की व्यवस्था की जाए। सीमेंट उद्योग के प्रतिनिधियों ने क्लिंकर आधारित सीमेंट प्लांट में फारेस्ट क्लियरेंस को लेकर आ रही परेशानी पर अपनी बात कही। पेस्टीसाइट्स बनाने में लगे उद्यमियों ने कहा कि बिहार में उनके लिए टेस्टिंग लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पीवीसी पाइप बनाने वाले उद्यमियों के संगठन ने कहा कि उनके लिए राज्य सरकार के स्तर से केंद्रीकृत क्रय पालिसी लायी जाए। बैठक को उद्योग मंत्री डॉ. रेणु कुशवाहा, मुख्य सचिव ए. के. सिन्हा, ए. पी. सी. ए. के. चौहान व सेल्स टैक्स के प्रधान सचिव एन. के. सिन्हा ने भी संबोधित किया।

(साभारः दैनिक जागरण, 1.10.2013)

रघुराम राजन समिति ने बदला पिछड़ापन का मानक

बिहार को माना सबसे पिछड़ा

मुद्दा विशेष राज्य का

बिहार को मिलेगा हक

विकास के मामले में बिहार व ओडिशा अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत पिछडे हैं। जबकि, गोवा व केरल सबसे ज्यादा विकसित राज्य हैं। रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है। समिति ने गरीब राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने के लिए उन्हें विशेष दर्जा देने संबंधी मानदंड को समाप्त करने की सिफारिश की है। साथ ही तमाम राज्यों को तीन विभिन्न श्रेणियों में बांटने की वकालत की है।

"प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने समिति के सुझावों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट को अगले वित्त वर्ष में लागू किए जाने की संभावना है।"

— **पी. चिदंबरम, वित्त मंत्री**

दस मानकों पर तय हुआ पिछड़ापन

1. प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय 2. शिक्षा 3. स्वास्थ्य 4. परिवार में सुविधाएं 5. गरीबी 6. महिला साक्षरता 7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 8. शहरीकरण की दर 9. फाइनेशियल इन्क्लुजन 10. कनेक्टिविटी

राज्यों की स्थिति	ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और राजस्थान
कम विकसित राज्य	मणिपुर, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, गुजरात, त्रिपुरा,कर्नाटक, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश
विकसित राज्य	गोवा, केरल, तमिलनाडू पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा

समिति की सिफारिशें

• किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने की बजाय बहुआयामी सूचकांक के आधार पर राज्यों को तीन श्रेणियों में बांटा जाए • हर राज्य को जरूरत और विकास के क्षेत्र में प्रदर्शन के आधार पर धन का सुनिश्चित और अतिरिक्त आवंटन किया जाना चाहिए • जिस राज्य को सूचकांक में 0.6 व इससे ऊपर का स्थान मिले उन्हें अल्पविकसित राज्यों की श्रेणी में रखा जाए • 0.6 से कम और 0.4 से ऊपर के दायरे में आने वाले राज्यों को कम विकसित, 0.4 से कम के स्तर वालों को विकसित माना जाए।

सैद्धांतिक जीत मिली : सीएम

'रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट पर केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम का मंतव्य बिहार की सैद्धांतिक जीत है। पिछड़ेपन के खिलाफ बिहार से शुरू हुई लड़ाई ने राजनीति का दृष्टिकोण बदल दिया है। इसका राष्ट्रीय प्रभाव पड़ा है। हमने हमेशा यही कहा कि बिहार और इस जैसे सभी राज्यों को विकास का अवसर दिया जाए। बिहार के अभियान का अन्य राज्यों को भी फायदा हुआ। नकारात्मकता भरे इस दौर में यह एक सकारात्मक बात हुई है।'

(साभारः हिन्दुस्तान, 27.9.2013)

विशेष दर्जा हासिल करने के अंतिम पड़ाव पर बिहार

पहले से ही तैयारी कर लें उद्यमी : नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलाना ही है। बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए पहले से ही तैयारी कर लें । अगर उद्योग में छूट मिलेगी तो छूट लेने वाला भी रहना चाहिये। उद्यमियों को बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए। एक लंबी लड़ाई के बाद बिहार विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है।

डॉ. रघुराम राजन कमिटी की रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय आगे की कार्रवाई कर रहा है। मैने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। योजना आयोग से सहमति ले लें कि रघुराम राजन कमिटी की रिपोर्ट पर वर्गीकरण के हिसाब से जो अत्यंत पिछड़े राज्य हैं, उनको भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों की सुविधा के बराबर अतिरिक्त सहायता दी जाय। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्र का हिस्सा नब्बे प्रतिशत हो तथा राज्य का राज्यांश दस प्रतिशत हो तथा उद्योग स्थापित करने में करों में छूट की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय। ये बातें मुख्यमंत्री ने 6 अक्टूबर 2013 को अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कहीं। उन्होंने बैंक रोड, पटना का नामकरण अग्रसेन मार्ग किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों की उद्यमशीलता से ही यहां का कारोबार बढ़ेगा। कोई फरिश्ता बाहर से नहीं आयेगा।

(विस्तृत समाचार : राष्ट्रीय सहारा, 7.10.2013)

सर्विस टैक्स पर चैम्बर में सेमिनार

सेमिनार में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री श्री पी० के० अग्रवाल। उनकी बाँयी ओर क्रमशः श्रीमती लिपिका मजुमदार राय चौधरी, सदस्य (सेवा-कर), सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एण्ड कस्टम, श्री एम० डी० सिंह, मुख्य आयुक्त, सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड सर्विस टैक्स एवं श्री शशांक प्रिया, आयुक्त, सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड सर्विस टैक्स। दाँयीं ओर क्रमशः श्री अरूण अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष, श्री शशि मोहन, उपाध्यक्ष, श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष, श्री ए. के. पी. सिन्हा, महामंत्री एवं श्री युगेश्वर पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष तथा अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 17 अक्टूबर 2013 को सर्विस टैक्स पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती लिपिका मजुमदार राय चौधरी, सदस्य (सेवा-कर), सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एण्ड कस्टम उपस्थित थीं। इस अवसर पर सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड सर्विस टैक्स के क्षेत्रीय चीफ कमिश्नर श्री एम. डी. सिंह, कमिश्नर सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड सर्विस टैक्स, पटना श्री शशांक प्रिया, कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज एण्ड सर्विस टैक्स, जमशेदपुर श्री जयंत कुमार झा, कमिश्नर कस्टम, लखनउ श्री अजय दीक्षित, कमिश्नर कस्टम, पटना श्री किशोरी लाल, अपर आयुक्त एक्साइज एण्ड सर्विस टैक्स श्री विनायक चन्द्र गुप्ता, उपायुक्त सुश्री रंजीता, उपायुक्त श्री समीर कुमार झा, सहायक आयुक्त श्री राहुल महतो, सहायक आयुक्त श्री पवन कुमार, सहायक आयुक्त श्री संतोष कुमार, सहायक आयुक्त, सेंट्रल एक्साइज, जमशेदपुर श्री गौतम कुमार एवं श्री प्रशांत, सहायक आयुक्त, भागलपुर श्री अनुज सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। सेमिनार की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने की।

अपने स्वागत संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि श्रीमती लिपिका मजुमदार राय चौधरी का स्वागत करने का जो अवसर हमें मिला है उससे हमें काफी प्रसन्नता है। इसके पूर्व दिनांक 18 दिसम्बर 2009 को श्री एस. दत्त मजुमदार, सदस्य, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एण्ड कस्टम का कृपा पूर्वक आगमन चैम्बर में हुआ था। उनके साथ तत्कालीन चीफ कमिश्नर, सेंट्रल एक्साइज एण्ड कस्टम श्री बिश्वजीत दत्ता भी आये थे और सर्विस टैक्स पर चैम्बर में गहन विचार-विमर्श हुआ था।

चैम्बर अध्यक्ष ने सर्विस टैक्स से संबंधित व्यवसायियों की समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विभाग छूट की Threshold सीमा को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने पर विचार करें। इससे छोटे व्यवसायियों को सहुलियत होगी। चैम्बर अध्यक्ष ने सेवा कर के लिए निर्धारित एक समान दर में न्यूनतम स्तर वाले कर दाताओं को राहत देने का भी आग्रह किया। इसके लिए उन्होंने बिहार वैट अधिनियम 2005 के अंतर्गत लागू समाहितीकरण योजनानुसार सेवा कर के अतंर्गत भी 50 लाख रुपये तक के सकलावर्त्त पर एक निश्चित राशि सेवा कर के रूप में जमा कराने का प्रस्ताव दिया।

इसके पश्चात श्रीमती चौधरी ने सेंट्रल एक्साइज एवं सेवा कर आयुक्त कार्यालय, पटना द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकों "ए गाइड टू सेन्ट्रल एक्साइज" एवं "ए गाइड टू सर्विस टैक्स" का विमोचन किया।

सेमिनार को संबोधित करते हुए श्रीमती लिपिका मजुमदार राय चौधरी ने कहा कि सेवा कर के दायरे में आने वाले उद्यमियों एवं व्यापारियों को अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर आयुक्त कार्यालय अथवा समकक्ष कार्यालय में कराना है। सर्विस टैक्स का प्रावधान 1994 में शुरू हुआ था। कैंद्रीय सेवा कर एक्ट के तहत 10 लाख रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले व्यक्ति या फर्म को सेवा कर का भुगतान करना है। इसके लिए उन्हें 12.36 प्रतिशत राशि का भुगतान कर के रूप में करना होता है। सेवा कर मुगतान नहीं करने वाले उद्यमियों को जुर्माना के साथ-साथ जेल की सजा भी हो सकती है। बिहार और झारखण्ड में सेवा कर के संबंध में व्यवसायियों द्वारा टालमटोल पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा कर भुगतान के लिए VCE योजना, 2013 के अधीन मात्र 109 उद्यमियों ने ही अपना पंजीकरण कराया है जबकि सेवा कर के दायरे में आने वाले व्यवसायियों की संख्या हजारों में है। विभाग द्वारा कड़ा रूख अपनाये जाने का संकेत देते हुए श्रीमती चौधरी ने कहा कि पंजीकरण नहीं कराने और उपभोक्ताओं से सेवा कर की वसूली कर सरकारी विभाग में सेवा कर जमा नहीं करने वाले व्यवसायियों को जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना देय सेवा कर के बराबर होगा।

श्रीमती चौधरी ने आगे कहा कि विभाग ने कम्प्यूटर पर ऑन लाइन पंजीकरण तथा सेवा कर भुगतान की कारगर व्यवस्था कर रखी है जहाँ सभी तरह के फार्म डाउन लोड किये जा सकते हैं। VCES योजना के तहत उद्यनियों को विभागीय अधिकारियों को कर भुगतान करने के बदले स्वयं ही अपना कर विभाग तक पहुँचाने की व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था मई माह से लागू है। इसके तहत सेवा कर भुगतान की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित है। बकाया सेवा कर का भुगतान बिना जुर्माना दो किश्तों में किया जा सकता है। पहली किश्त 30 दिसम्बर 2013 तक एवं दूसरी किश्त का भुगतान 30 जून 2014 तक किया जा सकता है।

श्रीमती चौधरी ने कहा कि व्यवसायी कर भार से परेशान रहते हैं परन्तु विभाग व्यवसायियों को सुविधा देने एवं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर है। अगर व्यवसायी तत्परता सहित सेवा कर जमा करें तो टैक्स ग्रोथ बढ़ेगा जो देश की उन्नति के लिए अत्यावश्यक है।

श्री एम० डी० सिंह, चीफ कमिश्नर, सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड सर्विस टैक्स ने इस अवसर पर कहा टैक्स जमा करने की जिम्मेवारी व्यवसायियों की है। किसी तरह की समस्या आने पर व्यवसायी उनसे या अन्य वरीय पदाधिकारियों से कार्यालय में

नि:संकोच सम्पर्क कर सकते हैं। बिहार एवं झारखण्ड में 36 हजार लोग ऑन लाइन टैक्स जमा कर रहे हैं। उन्होंने सेवा कर के दायरे में आने वाले सभी व्यवसायियों, ठेकेदारों, बिल्डरों, स्वरोजगार करने वाले लोगों सहित अन्य क्षेत्र के लोगों से सेवा कर का भुगतान नियमित रूप से करने का आग्रह किया।

उक्त अवसर पर श्री एस० एस० खदड़िया ने रेलवे में पटरी के रख-रखाव के संबंध में सेवा कर का निर्धारण अस्पष्ट रहने का मामला उठाया। इस पर पटना में उत्पाद आयुक्त के स्तर पर मामले की समीक्षा कर उचित निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया गया।

बिल्डर एसोसियेशन ऑफ इंडिया, पटना चैम्बर के श्री सचिन चन्द्रा ने फ्लैटों के बुकिंग और फ्लैट बुकिंग रद्द होने की स्थिति में सेवा कर वापसी पेंचीदा होने का मामला उठाया। टैक्सेशन बार एसोसियेशन बिहार के अध्यक्ष श्री मदन लाल गुप्ता ने अनुरोध किया कि सेवा कर संबंधी जो भी सर्कुलर हो वह बार एसोसियेशन को भी यथासमय उपलब्ध कराया जाय। इसके अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों के सदस्यों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। जिसमें अधिकांश समस्याओं का निदान अधिकारियों ने किया एवं शेष पर ज्ञापन मांगा गया।

इस अवसर पर श्रीमती राय चौधरी एवं चीफ कमिश्नर श्री एम० डी० सिंह को चैम्बर की तरफ से स्मृति चिह्न एवं भारतीय डाक विभाग द्वारा चैम्बर के नाम पर जारी डाक टिकट का एलबम भेंट किया गया।

सेमिनार में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, वरीय अधिवक्ता श्री सिद्धेश्वरी प्रसाद सिंह, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री अरूण अग्रवाल, चैम्बर एवं कई संगठनों के प्रतिनिधि तथा प्रेस एवं मीडिया के बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे। महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

सेमिनार में चैम्बर अध्यक्ष द्वारा स्वागत स्वागत संबोधन के मुख्य अंश

*The move initiated by the Government to simplify and streamline the Service Tax and Central Excise at the Central level deserves appreciation and the same signifies a healthy trend towards voluntary compliance and thatswhy" **Service Tax Voluntary Compliance Encouragement Scheme 2013"** has been introduced.*

However, the reform process should be sped with participation of trade and industry in order to make the system of Service Tax and Central Excise more condusive to growth, productivity and efficiency. At this meeting the Chamber would like to suggest the following points for your kind consideration:-

To increase Threshold limit of exemption

The exemption limit of Rs. 10 lacs was fixed in the financial year 2008-09. We request you to kindly increase the exemption limit of value of taxable service from 10 lacs to 25 lacs.

Compounding of Service Tax liability in certain cases

As we know every assesse of service-tax is required to maintain so many accounts relating to service-tax and it has to be furnished before the concerned authority as per law. We feel that for small service provider there should be some compounding scheme under which a class of service provider may be permitted to deposit a fixed amount annually for his annual turn over not exceeding Rupees 50 (fifty) lakhs. He may also be exempted from filing of several returns and furnishing of books of account with certain conditions and restriction as may be desired.

In Bihar VAT Act, there is a similar provision of compounding of Tax Scheme under section 15/15A of Act.

Levy of Service Tax on Construction Activity

Section 66E clause (b) Provides levy of Service Tax on all construction activities including Residential, Commercial or Industrial construction. Exception has been provided where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority.

The competent authority means the government or any authority authorised to issue completion certificate under any law for the time being and in case of non-requirement of such certificate from such authority from any Architect, Chartered Engineer and Licensed Surveyor. It is difficult and time taking to get the Certificate from Government authorities hence Architect, Chartered Engineer and Licensed Surveyor should also be authorised to issue such certificate.

Further where a small part of consideration is received before obtaining certificate, the Service Tax is payable on entire consideration. We request to provide that some part of consideration may be prescribed to receive before the Completion Certificate in order to get exemption from levy of Service Tax on the Sale after completion.

निवेशकों को नीतीश का न्योता

बदलते बिहार का दिया हवाला, आईटीसी से मिला भरोसा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19.10.2013 को मुंबई में पूरे पावर के साथ निवेश सलाहकार परिषद की बैठक में भाग लिया और दिग्गज अर्थशास्त्रियों की मौजूदगी में बिहार में बेधड़क निवेश करने का न्योता दिया। उन्होंने आर्थिक विशेषज्ञों व उद्यमियों से कहा कि वे खुद बदलते बिहार का हवाला देते हुए निवेशकों को बिहार में आने के लिए प्रेरित करें। आईटीसी के चेयरमैन वाईसी देवेश्वर समेत गुजरात के कई उद्यमियों ने बिहार में निवेश का भरोसा दिया। देवेश्वर ने बिहार में कृषि आधारित उद्योग लगाने की बात कही तथा सरकार से 40 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई व एसबीआई ने बिहार में एजुकेशन लोन उपलब्ध कराने तथा और अधिक शाखा खोलने की बात कही।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। यहां निवेश करने वालों को राज्य सरकार हर सुविधा मुहैया करायेगी। बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इस बैठक से प्रगति को और बल मिलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिये। विशेष राज्य का दर्जा मिलने में उद्योगपतियों का भी सहयोग आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि एक वर्ष पहले 15 सितम्बर 2012 को निवेश सलाहकार परिषद की बैठक पटना में आयोजित की गयी थी। इस बैठक के बाद बिजली क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। उद्यमियों की जमीन की कमी की आशंका भी दूर कर ली गयी है। निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गयी है। अब आम जनता औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अपनी निजी जमीन सरकार को उपलब्ध करा रही है। केन्द्र सरकार ने जो नयी भू अर्जुन नीति अपनायी है, उसे देखते हुए राज्य की निजी औद्योगिक क्षेत्र की नीति निवेशकों के लिए काफी मददगार साबित होगी। बैठक की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा ने बताया कि मुख्यमंत्री के भाषण से वहां मौजूद उद्यमी व आर्थिक विशेषज्ञ काफी प्रभावित हुए। बिहार की काफी तारीफ हुई। आईटीसी के चेयरमैन वाईसी देवेश्वर ने बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बड़ा उद्यम स्थापित करने की घोषणा की। गुजरात के कई उद्यमी भी बिहार में निवेश के लिए उत्साहित दिखे। बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बताया कि बिहार में डायमंड कटिंग उद्योग की काफी सराहना हुई। राज्य से आए ऐसे उद्यमियों ने खुद बताया कि बिहार सरकार ने जो सुविधा दी है वह काबिले तारीफ है। बिहार सरकार के इस प्रयास के लिए मुंबई में बिहार में कार्यरत डायमंड उद्यमियों का रोड शो किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी निवेश सलाहकार परिषद के सदस्यों में बतौर सदस्य के रूप में दीपक पारिख अध्यक्ष एचडीएफसी बैंक, के. वी. कामथ, अध्यक्ष, आईसीआईसीआई बैंक व चेयरमैन इनफोसिस, अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनिल अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष, वेदांता, वाईसी देवेश्वर, अध्यक्ष, आईटीसी, जमशेद गोदरेज, अध्यक्ष, गोदरेज, नितिन परांजपे, सीईओ, हिन्दुस्तान लीवर, इशहत हुसैन, निदेशक वित्त, टाटा संस, एन चन्द्रशेखरन, मुख्य कार्यकारी निदेशक, टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज, शिखा शर्मा, प्रबंध निदेशक, एक्सिस बैंक और अनलजीत सिंह, अध्यक्ष मैक्स इंडिया शामिल हैं। परिषद में आर्थिक एवं प्रबंधन प्रक्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. इशर जज अहुलवालिया, चेयरमैन, आइसीआरआईइआर, सुदीप्तो मंडल, सीनियर फैकल्टी, एनआइपीएफपी और डॉ. जे. सिन्हा, अध्यक्ष, एशिया पैसिफिक को शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण है कि बतौर इंडिया फाउंडेशन के प्रतिनिधि के रूप में सेबी के अध्यक्ष यू. के. सिन्हा भी निवेश सलाहकार परिषद में शामिल हैं। बैठक में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव, नवीन वर्मा एवं निदेशक, शैलेश ठाकुर समेत कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। बिहार सरकार की तरफ से सूबे के विकासात्मक कार्यों का प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 20.10.2013)

बिहार के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल

नाम	दल	कार्यकाल
श्रीकृष्ण सिंह	कांग्रेस	02-04-46 से 31-01-61
दीप नारायण सिंह	कांग्रेस	01-02-61 से 18-02-61
विनोदानंद झा	कांग्रेस	18-02-61 से 02-10-63
के. बी. सहाय	कांग्रेस	02-10-63 से 05-03-67
महामाया प्रसाद सिन्हा	जक्रांद	05-03-67 से 28-01-68
सतीश प्रसाद सिंह	कांग्रेस	28-01-68 से 01-02-68
बी. पी. मंडल	कांग्रेस	01-02-68 से 02-03-68
भोला पासवान शास्त्री	कांग्रेस	22-03-68 से 29-06-68
हरिहर प्रसाद	कांग्रेस	26-02-69 से 22-06-69
भोला पासवान शास्त्री	कांग्रेस	22-06-69 से 04-07-69
दारोगा प्रसाद राय	कांग्रेस	16-02-70 से 22-10-70
कर्पूरी ठाकुर	सोश० पार्टी	22-10-70 से 02-06-71
भोला पासवान शास्त्री	कांग्रेस	02-06-71 से 09-01-72
केदार पांडेय	कांग्रेस	19-03-72 से 02-07-73
अब्दुल गफुर	कांग्रेस	02-07-73 से 11-04-75
जगन्नाथ मिश्र	कांग्रेस	11-04-75 से 30-04-77
कर्पूरी ठाकुर	जनता पार्टी	24-06-77 से 21-04-79
राम सुंदर दास	जनता पार्टी	21-04-79 से 17-02-80
जगन्नाथ मिश्र	कांग्रेस	08-06-80 से 14-08-83
चंद्रशेखर सिंह	कांग्रेस	14-08-83 से 12-03-85
बिदेश्वरी दूबे	कांग्रेस	12-03-85 से 13-02-88
भागवत झा आजाद	कांग्रेस	14-02-88 से 10-03-89
सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	कांग्रेस	11-03-89 से 06-12-89
जगन्नाथ मिश्र	कांग्रेस	06-12-89 से 10-03-90
लालू प्रसाद	जनता दल	10-03-90 से 28-03-95
लालू प्रसाद	जद,राजद	04-04-95 से 25-07-97
राबड़ी देवी	राजद	25-07-97 से 11-02-99
राबड़ी देवी	राजद	09-03-99 से 02-03-2000
नीतीश कुमार	जदयू	03-03-2000 से 10-03-2000
राबड़ी देवी	राजद	11-03-2000 से 6-03-2005
नीतीश कुमार	जदयू	24-11-2005 से अब तक

(साभारः राष्ट्रीय सहारा, 7.10.2013)

7 वर्ष में 51 से 85 ग्रिड

2015 तक 4000 मेगावाट से अधिक क्षमता विकास के लक्ष्य पर हो रहा काम – ऊर्जा मंत्री

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि विगत सात वर्षों में बिहार में ग्रिडों की संख्या 51 से बढ़कर 85 हो गयी है उनकी सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि 2015 तक हमारी क्षमता 4000 मेगावाट से भी अधिक हो जाए। करबिगहिया में ऊर्जा प्रक्षेत्र से जुड़ी 370 करोड़ रुपये सें अधिक की परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास समारोह में उन्होंने यह बात कही।

जिन परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन : • गौरीचक ग्रिड सब स्टेशन, लागत 100 करोड़ • हाजीपुर ग्रिड सब स्टेशन, लागत 34.84 करोड़ • करबिगहिया सब स्टेशन, लागत 62 करोड़ • मिनी ग्रिड सब स्टेशन, एकमा (सारण) लागत 5.10 करोड़

इन जगहों पर पावर सब स्टेशन का उद्घाटन :

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से संबद्ध : सोनबरसा, मेहशी, भगवानपुर, बहादुरपुर चरौत, पटेढी बेलसर, बखरी, परबत्ता, कल्याणपुर, मोतिहारी व सुपौल (कुल लागत 24.87 करोड़)

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से संबद्ध : सिकरिया, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर- फुलवारीशरीफ, हरनौत, मुंगेर व बारुण (कुल लागत-17.22 करोड़) **(विस्तृत समाचार : दैनिक जागरण, 5.10.2013)**

सरकार करेगी छोटे उद्योगों का उद्धार

बिहार सरकार ने नई योजना को दी मंजूरी, इसके तहत उद्योगों को मिलेगी तकनीकी और आर्थिक मदद

बिहार में औद्यागिक विकास के लिए सरकार को छोटे उद्योगों पर अधिक भरोसा है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के उद्धार के लिए नई योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार अब इस क्षेत्र के उद्यमियों को तकनीकी और आर्थिक मदद मुहैया कराएगी।

छोटे उद्योग, बड़ी उम्मीद

• बिहार के प्रत्येक जिले में कम से कम एक क्लस्टर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है • छोटे उद्यमियों और कामगारों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी राज्य सरकार • पूंजी व उत्पादों के विपणन में भी सरकार बढ़ाएगी मदद का हाथ • पिछले वित्त वर्ष में 2,321 छोटी इकाइयों की स्थापना हुई, इससे हुआ 200 करोड़ रुपये का निवेश।

(विस्तृत समाचारः बिज़नेस स्टैंडर्ड, 31.8.2013)

राज्य में जल्द आएगी नई ईंट नीति

खनन व भूतत्व विभाग का प्रारूप तैयार, विधि और वित्त विभाग से परामर्श के बाद कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी

राज्य में बालू नीति की तरह जल्दी ही ईंट नीति आएगी। इस नीति का प्रारूप खनन एवं भूतत्व विभाग ने तैयार कर लिया है। इस पर परामर्श करने के लिए इसे विधि और वित्त विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद कैबिनेट से पास होने के बाद यह नीति राज्य में लागू हो जाएगी।

तैयारी : • ईंट भट्ठों का निबंधन, पर्यावरण प्रमाण-पत्र लेना होगा अनिवार्य • रॉयल्टी जमा करने के लिए निर्धारित की जाएगी समय सीमा • एसईआईएए ने भी तय किए है ईंट उद्योग के लिए नए मापदंड।

महत्वपूर्ण निर्देश : • ईंट के लिए मिट्टी का खनन दो मीटर से ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए • खनन करने के बाद गड्ढों को भट्टा मालिकों को भरवाना होगा • जिस स्थान से मिट्टी का खनन किया गया, उसे चारों तरफ से घेरना होगा • भट्टा स्थल पर मजदूरों के लिए चिकित्सा समेत तमाम सुविधाएं होनी चाहिए • सार्वजनिक स्थान से मिट्टी खनन क्षेत्र की दूरी कम से कम 15 मीटर हो • संरक्षित स्थलों से एक किमी के दायरे में कोई ईंट-भट्टा नहीं होगा। **(विस्तृत सामाचार : हिन्दुस्तान, 24.9.2013)**

हिंसा में मौत पर परिजनों को पांच लाख अनुदान

आतंकवादी उग्रवादी, सांप्रदायिक या जातीय सहित अन्य हिंसक वारदातों में मारे गए लोगों के आश्रितों को अब पांच लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान मिलेगा। राज्य सरकार ने एक लाख रुपए तक के अनुदान की नीति में संशोधन कर दिया है। गृह विभाग ने इस बाबत संकल्प जारी कर दिया है।

गृह विभाग ने जारी किया संकल्प : • आतंकियों व उग्रवादियों के मददगार भी माने जाएंगे आतंकी और उग्रवादी • अनुग्रह अनुदान देने की स्वीकृति व भुगतान की शक्ति संबंधित डीएम के पास रहेगी।

अनुग्रह अनुदान : • 50 हजार रुप्ए मिलेगा स्थायी रूप से अपंग होने वालों को •20 हजार रुपए तक मिलेगा गंभीर रूप से घायलों को • 01 लाख रुपए तक मिलेगा पक्का मकान ध्वस्त होने पर • 50 हजार रुपए तक मिलेगा कच्चा मकान ध्वस्त होने पर। **(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान, 2.10.2013)**

4 चीनी मिलों की नीलामी

राज्य सरकार अगले माह बंद पड़ी चार चीनी मिलों की नीलामी करेगी। मिजी हाथों को इन्हें सौंपने का पिछले चार सालों में यह पांचवां प्रयास होगा। शेष चार मिलों के पास फार्म लैंड(मिल के अतिरिक्त जमीन) नहीं रहने के कारण इनके प्रति खरीदारों की रूचि नहीं देख इन्हें बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) को सैंपने का फैसला लिया गया है। पूर्व की नीलामी में बंद पड़ी कुल 15 में से 7 चीनी मिलों को निजी हाथों को सौंपा जा चुका है, जिनमें से लौरिया एवं सुगौली ने

उत्पादन भी शुरू कर दिया है।

सौंपी जाएंगी बियाडा को : 1. गुरारू 2. गोरोल 3. सिवान 4. न्यू सावन

निजी हाथों को पहले सौंपी गई मिलें : 1. लोरिया 2. सुगौली 3. रैयाम 4. मोतीपुर 5. बिहटा 6. सकरी 7. समस्तीपुर

इन मिलों की होगी नीलामी : 1. हथुआ 2. लोहट 3. वारिसलीगंज 4. बनमनखी

(विस्तृत समाचार : दैनिक जागरण, 20.9.2013)

Govt unlocks food park land

The proposed mega food park, which was tied in knots over land acquisition in Bhagalpur, is now expected to shift to Banka.

The government has allotted the Calcutta-based Keventer Agro Limited 100 acres of land in Banka district, around 270Km southeast of Patna, for setting up the project. Projects on hold because of land acquisition problems.

Company	Project	Investment	Place	Land
Adhunik Group	1320Mw power plant	Rs. 1500 crore	Bhagalpur	400 acres
Usha Martin	1200-1320Mw power plant	Rs. 6000 crore	Bhagalpur	300 acres
Ambuja Cements Ltd.	1.5 million tonne cement grinding plant	Rs. 400 crore	Barh	60 acres

(Details : The Telegraph 6.9.2013)

उद्यमों के विकास में बैंकों की भूमिका अहम

उद्यमियों को बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पटना में एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार के 60 क्लस्टरों में जीएसएल लैंप, बल्ब और चमड़ा फुटवेयर का क्लस्टर पटना में है। इन उद्योगों को समग्र विकास के लिए बैंकिंग के साथ जोड़ना जरूरी है। आयोजन में बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय ने सहयोग दिया।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का देश के विकास में बड़ा योगदान है। रोजगार का मामला हो या निर्यात के माध्यम से आम लोगों की आमदनी बढ़ाने का, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इन उद्यमों के विकास के लिए इन्हें बैंकिंग से जोड़ना जरूरी होता है। कई उद्यमियों को जानकारी के अभाव में परेशानी होती है। उन्होंने योग्य उद्यमियों से बैकिंग की मुख्यधारा से जुड़ने का आह्वान किया। बैकों से जुड़े कई अधिकारियों ने अपने बैंकों की सेवाओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम में राज्य सरकार के कई वरीय अधिकारियों के साथ बैंक के अधिकारी उपस्थित थे। जीएसएल लैंप, बल्ब, चमड़ा फुटवेयर, पैकेज खाद्य पदार्थ मछली पालन और कृषि से जुड़े लगभग दो सौ उद्यमियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

(साभार: हिन्दुस्तान, 2.10.2013)

चेक बाउंस मामले से जुड़े दो अहम फैसले

सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह चेक बाउंस से जुड़े दो अहम सवालों का समाधान दिया। चेक बाउंस से संबंधित मुद्दों पर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न पीठों के बीच वैचारिक मतभेदों को दूर करते हुए एक बड़े पीठ ने फैसला दिया कि (1) पावर ऑफ अटॉर्नी धारक भी चेक बाउंस होने पर शिकायत दर्ज करा सकता है और (2) पावर ऑफ अटॉर्नी धारक यदि शिकायत में यह साबित करना चाहता है कि वह अदाता के एजेंट के रूप में संबंधित लेनदेन का प्रत्यक्षदर्शी है और उसे संबंधित लेनदेन के बारे में पर्याप्त जानकारी है तो उसे अदालत में शपथ लेनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ दो अपील याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।

मोडवैट शर्तों में ढील : सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्व प्राधिकरण की उस दलील को खारिज कर दिया कि मोडवैट में छूट की दावेदारी के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य रूप से दावेदार कंपनी की साख को सत्यापित किया जाना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि संबंधित विनिर्माता ने कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया है या नहीं। इस मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की अपील को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने पंजाब की एक कंपनी केके इंडस्ट्रीज और देशभर की ऐसी ही कुछ अन्य कंपनियों के पक्ष को सही ठहराया।

(विस्तृत समाचार : बिजनेस स्टैंडर्ड 23.9.2013)

RBI ear for consumer prices

A section of economists believe the RBI is beginning to give more importance to consumer price index (CPI) than the wholesale Price Index (WPI). The new governor had raised the repo rate - or the rate at which the apex bank lends to banks - to 7.50 per cent, stunning markets and industry.

WHOLESALE INDEX ROLE SEEN TO RECEDE

• Consumer price index-based (CPI) inflation was 9.52% in August compared with 9.64% in July • WP inflation stood at 6.1% in August against 5.79% in July

FOR CPI : *• Consumer and business expectation of future prices influenced by CPI • CPI captures service inflation.*

AGAINST CPI : *Former RBI governor D.Subbarao says data on CPI not as extensive as WPI • Food Prices influence CPI.*

(Details : Telegraph,23.9.2013)

बिहार में चीनी उद्योग को सौगात

चीनी मिलों को रियायतें और कर से मिलेगी छूट, सरकार का फैसला

बिहार सरकार ने राज्य में चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई रियायतें और छूट देने का फैसला लिया है। दरअसल, राज्य सरकार ने इस बाबत अपनी नई प्रोत्साहन योजना तैयार कर ली है। राज्य सरकार को इस योजना से बिहार में चीनी के उत्पादन में भारी इजाफे की उम्मीद है।

बिहार में 2012-13 में 5.1 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। राज्य सरकार की कोशिश इसे अगले 2017 तक दोगुनी करने की है। इसके लिए राज्य सरकार ने बिहार में रिकवरी दर और पेराई क्षमता में भारी इजाफा करने का लक्ष्य रखा है।

(विस्तृत समाचार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 20.9.2013)

बिहार ने केन्द्र से मांगा तीसरा सुपरग्रिड

बिहार ने केन्द्र से एक ओर सुपरग्रिड मांगा है। यह सूबे की तीसरा सुपरग्रिड होगी। दरंभगा और मोतिहारी में सुपरग्रिड के प्रस्ताव पर केन्द्र की सहमति मिल चुकी है। उधर किशनगंज में सुपग्रिड के निर्माण की कार्रवाई शुरू हो गई है। पावरग्रिड इसका निर्माण करेगा और इसपर 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तीनों सुपग्रिड पर 1200 से 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा।

बेगूसराय में स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू : • मोतिहारी व दरभंगा में सुपरग्रिड पर पहले ही केन्द्र से हो चुकी है बात • उत्तर व दक्षिण बिहार में समान ट्रांसमिशन क्षमता दुरुस्त करने की कोशिश • इस समय दक्षिण बिहार में छह और उत्तर बिहार में दो ही सुपरग्रिड।

कहां-कहां ग्रिड : उत्तर बिहार– मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दक्षिण बिहार– पटना, बिहारशरीफ, गया, पुसौली, बांका, कहलगांव।

> हमने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समझ बेगूसराय में सुपरग्रिड की मांग रखी है। हम बिहार में सुपरग्रिड निर्माण को लेकर गंभीर हैं। इस समय उत्तर व दक्षिण बिहार में ट्रांसमिशन क्षमता को लेकर असमानता है। बगैर सुपरग्रिड के यह असमानता दूर नहीं होगी। **– विजेन्द्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री**

(साभार: हिन्दुस्तान, 23.9.2013)

जीएसटी के दायरे में रहेंगे पेट्रोलियम-शराब

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की नवंबर में होने वाली बैठक में पेट्रोलियम उत्पाद एवं शराब जैसे उत्पादों को भी नई कर प्रणाली के दायरे में लाने पर विचार किया जाएगा।

(विस्तृत समाचार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 20.9.2013)

तीन और चेकपोस्ट खुलेंगे : परिवहन मंत्री

परिवहन मंत्री वृशिण पटेल ने कहा है कि सूबे में तीन और चेकपोस्ट खुलेंगे। परिवहन विभाग ने गाँधी सेतु (पटना), जीरोमाइल बेगूसराय व भागलपुर पुल पर चेकपोस्ट खोलने की मंजूरी दे दी है। साथ ही जमुई, बांका, पटना, नवादा, लखीसराय, सासाराम, अरवल के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ओवरलोडेड वाहनों पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया है। खनन विभाग को निर्देश दिया गया है कि लोडिंग प्वाइंट पर पैनी निगाह रखी जाए। **(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान, 19.9.2013)**

कामगारों को औजार और साइकिल के लिए अनुदान

सूबे के निर्माण कामगारों को अपने आजारों की खरीद के लिए किसी ठेकेदार या मालिक के भरोसे नहीं रहना होगा। वे खुद निर्माण कार्य में काम आने वाले आजारों की खरीद कर सकते हैं। साथ ही वे अपने लिए साइकिल भी खरीद सकते हैं। राज्य सरकार ने उनके लिए **'बिहार शताब्दी गृह निर्माण औजार एवं साइकिल क्रय अनुदान'** योजना शुरू की है।

योजना शुरू : • निर्माण मजदूरों को मिलेंगे 15-15 हजार रुपये • 28 को समारोह में सीएम देंगे कामगारों को अनुदान • अनुदान से पहले कामगारों को दी जाएगी ट्रेनिंग

निर्माण कामगार : प्लंबर, राजमिस्त्री, उसके हेल्पर, बढ़ई, लोहार, पेंटर, इलेक्ट्रीशयन, भवन या सड़क निर्माण में संलग्न अकुशल मजदूर, पुल-बांध-सड़क निर्माण लगे मजूदर, इन कार्य में लगे चौकीदार, गेट ग्रिल-सेंट्रिग, वेल्डिंग मजदूर, फीटर, फ्लोर टाइल्स मिस्त्री, महिला कामगार जो सीमेंट-गारा मिक्स ढोने का काम करे, रेलवे-हवाई अड्डा-टेलीफोन आदि निर्माण से जुड़े अकुशल कामगार।

(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान, 23.9.2013)

Patna metro project on way

Chief Minister Nitish Kumar's administrative sanction in place for working out its alignment' the Patna metro rail project is closer to becoming a reality than ever before. Rites Limited, a government infrastructure company, has been tasked to prepare the detailed project report (DPR). The consultant has already submitted a 'positive' preliminary feasibility report for the project.

KEEPING TRACK : *• 30 km metro train to run on elevated, underground path • Govt yet to finalise alignment plan, stations for metro • Rites topographic survey on, DPR awaits alignment plan • Metro to link Danapur to Deedarganj via Mahendru Ghat* ***(Source : H. T., 20.9.2013)***

अब एक व्यक्ति भी बना सकेगा अपनी कंपनी

नए कंपनी कानून 2013 के मसौदे में सरकार ने पेश किया विचार

तब नहीं रहेगी एक आदमी की कंपनी : • 50 लाख रुपये से अधिक हो जाती है अगर कंपनी की चुकता पूंजी • 02 करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है अगर औसत सालाना कारोबार।

होगी तरक्की : • हथकरघा, हस्तशिल्प व मिट्टी के बर्तन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को होगा लाभ • कंपनी बनाने के लिए करनी होगी कुछ शर्ते पूरी • सरकार को क्षेत्र के बारे में गुणवत्ता वाले मझोले आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी • पहले कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम दो शेयरधारक जरूरी थे • एक व्यक्ति कारोबार के उद्देश्य से पांच से अधिक ऐसी एक व्यक्ति कंपनी का पंजीकरण नहीं करा पाएगा • कंपनी कानून 2013 के नियमों के मसौदे में शामिल किया गया है इस नए प्रावधान को।

(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान, 07.10.2013)

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को बने तीन सेंटर

राजधानी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगान के लिए तीन सेन्टर बनाए गए हैं। ये सेन्टर सिपारा, बेउर शिवपुरी व गोला रोड में खोला गया है। जो भी वाहन मालिक जिला परिवहन कार्यालय से स्लिप लेकर आएंगे उन्हें 48 घंटे के अंदर नंबर प्लेट मिल जाएगा।

नंबर प्लेट लगाने के लिए मोटरसाइकिल के लिए 135 रुपए, तीन पहिया वाहन के लिए 162 रुपए, चार पहिया वाहनों के लिए 335 रुपए, भारी वाहन के लिए 310 रुपए व ट्रैक्टर के लिए 140 रुपए शुल्क लगेंगे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 5.10.2013)**

राज्य में खोली जाएंगी 20 फिश फिड मिल

राज्य के मछलीपालकों के लिए खुशखबरी है। वैसे मछुआरे जो मछली चारे के कमी की वजह से मछली पालन से मुंह फेर रहे हैं उनके लिए सरकार फिश फिड मिल (मछली चारे का कारखाना) खोलने जा रही है। इसके तहत राज्य में 20 फिश फिड मिल खोले जाएंगे। **(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान, 4.10.2013)**

भूमि अधिग्रहण बिल संसद में पास

• 199 साल बाद बाद बदलेगा भूमि अधिग्रहण कानून • ब्रिटिश हुकूमत के समय 1894 में बना था कानून • ग्रामीण इलाकों में बाजार मूल्य का चार गुना मिलेगा मुआवजा • शहरी इलाकों में बाजार मूल्य का दो गुना मिलेगा मुआवजा।

(विस्तृत समाचार : सन्मार्ग, 6.9.2013)

निजी जमीन पर अब नहीं बनेंगी सड़कें

ग्रामीण सड़कों पर सरकार का अहम फैसला

अब निजी जमीन पर सड़कों का निर्माण नहीं होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में सैद्धांतिक फैसला ले लिया है। ग्रामीण सड़कों के संदर्भ में यह नियम तत्काल लागू होगा। इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने तमाम इंजीनियरों को प्रस्तावित सड़कों का एलाइनमेंट फिर से जांचने को कहा है। इसके तहत कहीं भी कोई निजी जमीन नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसे मामले हैं तो उसे निर्माण के पहले ही दुरुस्त कर लेने को भी कहा गया है। **(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान, 13.9.2013)**

8 मीटर से कम चौड़े रोड पर अपार्टमेंट नहीं

नई कालोनियों में अब आठ मीटर (24 फुट) से कम चौड़ी सड़कों पर अपार्टमेंट नहीं बनेंगे। साथ ही अपार्टमेंट और सड़कों की चौड़ाई पर भी रवैया सख्त है। मुख्य सड़क के मुहाने से अपार्टमेंट या व्यावसायिक भवन तक सड़कों की मानक के अनुसार एक समान चौड़ाई होगी तभी निर्माण की अनुमति मिलेगी। नक्शा पास होगा। सिर्फ अपने भवन के आगे मानक के हिसाब से स्थान छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। प्रस्तावित बिल्डिंग बाइलाज में इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं।

(विस्तृत समाचार : दैनिक जागरण, 14.9.2013)

बिहार बिल्डिंग बाइलॉज को सीएम की मंजूरी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार बिल्डिंग बाइलॉज को मंजूरी दे दी है। अब इसकी नियमावली तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बिल्डिंग बाइलॉज में भवनों को भूकम्परोधी बनाने की अनिवार्यता के साथ-साथ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और ग्रीन एरिया (हरित क्षेत्र) का प्रावाधान शामिल करने को कहा है। काम पूरा होने के बाद इस पर आम जनता के सूझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान पर भी काम हो रहा है। हालांकि यह मामला अभी उन तक नहीं आया है।

वर्तमान सरकार ने शहरों को कंक्रीट के जंगल में तब्दील करने से रोकने के लिए बिल्डिंग बाइलॉज तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। पूरे राज्य के लिए एक समान बिल्डिंग बाइलॉज होगा। इसमें औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों का वर्गीकरण साफ-साफ होगा। पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफाई को ध्यान में रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री के बयान के बाद यह तय हो गया है कि अब संकरी और पतली गलियों में बहुमजिली इमारतों का निर्माण नहीं हो सकेगा। बिहार बिल्डिंग बाइलॉज में 20 फीट से कम चौड़ी सड़क पर ग्यारह मीटर से अधिक ऊंचे भवन के निमार्ण की इजाजत नहीं दी जाएगी।

राज्य में वर्ष 1981 के बाद नया बिल्डिंग बाइलॉज नहीं बनाया गया है। मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से प्रावधान नहीं रहने के कारण पूरे राज्य में मनमाने तरीके से भवनों और बहुमंजिली इमारतों का निर्माण होता चला गया। खासकर राजधानी में बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने का तर्क देकर अनाप-शनाप तरीके से निर्माण किया गया। शहर में मकानों के व्यवस्थित तरीके से निर्माण के लिए बिहार बिल्डिंग बायलॉज पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में बैठक हुई थी। इसमें नया बिल्डिंग बाइलॉज एक माह के भीतर तैयार कर लेने पर सहमति बनी।

(साभार: हिन्दुस्तान, 28.9.2013)

सड़कों के रख-रखाव पर 2500 करोड़ रुपये खर्च करेगा बिहार

बिहार सरकार सड़कों के रख-रखाव पर मोटी रकम का निवेश करेगी। राज्य कैबिनेट ने अगले पांच साल में बिहार की करीब 9,000 किमी सड़कों के रखरखाव पर 2,500 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने का फैसला किया है।

(साभार: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 25.9.2013)

सुप्रीम कोर्ट को मिला विशेष पिन कोड नम्बर – 110201

डाक विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष पिन कोड दिया है, जिससे शीर्ष अदालत आने वाली डाक सीधे बिना छंटाई के यहां पहुंचेगी। यह कोड 110201 है। डाक विभाग शीघ्र ही विशेष पिन कोड सेना और यूपीएससी को भी देगा जो देश के बड़े डाक प्रयोगकर्ता है।

(साभार: हिन्दुस्तान 27.9.2013)

25 हजार वेतन पाने वाले भी अब इएसआइ के दायरे में

इएसआइ का लाभ 25 हजार मासिक वेतन पाने वाले भी उठा सकेंगे। दिल्ली में कर्मचारी बीमा निगम के निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इएसआइ निदेशक मंडल के सदस्य व राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश सिंह ने नई दिल्ली से लौटने के बाद बताया कि इस आशय की अधिसूचना शीघ्र जारी हो जाएगी।

(साभार: दैनिक जागरण, 23.9.2013)

सभी निकायों में ई-म्यूनिसिपैलटी योजना

सूबे के सभी शहरी निकायों में ई- म्यूनिसिपैलटी योजना लागू होगी। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिनोवेशन मिशन (नुर्म) के तहत इसके लिए पहले चरण में लगभग 49 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

ई म्यूनिसिपैलिटी में शमिल होंगी : •जन्म-मृत्यु निबंधन • सम्पत्ति कर • जलापूर्ति एवं सीवरेज • भवन-योजना की स्वीकृति एवं नियम • कार्य-प्रबंधन प्रणाली, निबंधन लाइसेस • ठोस कचरा प्रबंधन • लेखा और कर्मचारी प्रबंधन • स्वास्थ्य एवं सफाई • टैक्स-लीज, सैरात • विज्ञापन-होर्डिंग • जन-शिकायत • भूमि एवं एस्टेट प्रबंधन • दस्तावेज प्रबधंन प्रणाली • झुग्गी-झोपड़ी सुधार • सूचना प्रणाली • ज्ञान-प्रबंधन प्रणाली।

(साभार: हिन्दुस्तान, 10.9.2013)

सौर ऊर्जा पर काम करें, सरकार देगी मदद : मंत्री

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने उद्यमियों व निवेशकों से सौर व अक्षर ऊर्जा उद्योग राज्य में स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसमें उन्हें पूरा सहयोग देगी। कोई भी नीति सदा के लिए नहीं बनती है। आवश्यकतानुसार निवेशकों को और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए संशोधन हो सकता है। लेकिन, सिर्फ सुझाव देने से काम नहीं चलेगा। पांच-दस लोग आगे आएं और काम करें। वह ग्रीनपीस द्वारा जारी रिपोर्ट के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होने कहा कि राज्य में जलजमाववाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को विकसित किया जा सकता है। राज्य में नौ लाख हेक्टेयर जलजमाव क्षेत्र है। ग्रीनपीस व सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एंड एनर्जी डेक्लपमेंट द्वारा आयोजित सोमिनार में मंत्री को अक्षय ऊर्जा के त्वरित विकास के लिए कानूनी, नीतिगत व नियामकीय ढांचे के निर्माण पर रिपोर्ट सौंपी गयी। बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीश्न के अध्यक्ष यूएन पंजीयार ने कहा कि सौर ऊर्जा व बायोमास ही राज्य को सस्ता व लंबी अवधि तक बिजली दे सकते हैं। सरकार निवेशकों को जमीन मुहैया कराने व उसके अधिग्रहण में पूरीं मदद करे। ब्रेडा के निदेशक डीएन पांडेय ने कहा कि राज्य को 5000 मेगावाट बिजली की जरूरत है। अभी सिर्फ 1500 से 2000 मेगावाट ही उपलबध हो पाती है। अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए नीति बनाने की जरूरत है। मौके पर ग्रीनपीस के पदाधिकारी रामपति कुमार व सीड के मनीष राम भी मौजूद थे।

ग्रीन पीस के सुझाव : • राज्य विद्युत क्षेत्र की कंपनियों व अन्य निकायों के तत्वावधान में नयी संयुक्त उपक्रम कंपनी की स्थापना कर स्टेट नोडल एजेंसी को मजबूत करना • विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अक्षय ऊर्जा के दिशा-निर्देश में तब्दीली लाना • समर्थनकारी माहौल का सृजन करना, जो भूमि चिन्हित करने से संबंधित हो • सिंगल विंडो एक्ट के जरिये प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

(साभार: प्रभात खबर, 25.9.2013)

रेल भूमि विकास प्राधिकरण

रेल भूमि विकास प्रधिकरण रेल मंत्रालय का संविधिक प्राधिकरण है। इंडियन रेलवे एक्ट, 1989 में संशोधन के तहत रेलवे की खाली पड़ी जमीनों को व्यावसायिक प्रयोग लायक बनाने के मकसद से इस प्राधिकरण की स्थापना की गयी। भारतीय रेल के पास तकरीबन 43,000 हेक्टेयर खाली पड़ी जमीन है। रेलवे के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रेलवे बोर्ड को मुहैया कराये गये आंकड़ों के मुताबिक इस जमीन से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। इस प्राधिकरण ने व्यापक स्तर पर रेलवे की खाली पड़ी जमीनों का वाणिज्यिक तौर पर विकास किया है। इससे रेलवे की आमदनी में काफी बढोतरी हुई है। प्राधिकरण ने ऐसी खाली पड़ी भूमि की पहचान कर उसे अतिक्रमण से मुक्त करवाता है। किसी खास जमीन को विकसित करने के लिए प्राधिकरण रियल इस्टेट कंसलटेंट से उसका सर्वे करवाता है। ताकि उससे राजस्व हासिल किया जा सके। व्यावसायिक उपयोग तय होने के बाद इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कारोबारी गतिविधियों के लिए विकसित किया जाता है। इन सभी कार्यों में होनेवाले प्राधिकरण का सारा खर्चा भारतीय रेलवे वहन करती है।

(साभार: प्रभात खबर, 19.9.2013)

थोक विक्रेताओं को लगाने होंगे मिट्टी तेल के पम्प

अब मिट्टी तेल की बिक्री भी पेट्रोल की तरह पम्प से होगी। इस संबंध में थोक विक्रेताओं (होल सेलर) को पम्प लगाने के आदेश दिये गये हैं। अनुभाजन अधिकारियों का कहना है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो अगले माह से इसे लागू कर दिया जाएगा।

(विस्तृत समाचार : राष्ट्रीय सहारा, 14.9.2013)

20-100 रु. बढ़ा एसी का किराया

भारतीय रेलवे ने इस वर्ष तीसरी मर्तबा रेल भाड़े में बढ़ोत्तरी की है। यह बढ़ोत्तरी अधिभार के रूप में की गई है। स्लीपर में जहां पांच रुपये से लेकर पन्द्रह रुपये तक किराया बढ़ाया गया है वहीं एसी में 20 रूपये से लेकर 100 रुपये बढोत्तरी की गई है। बढ़ी दरें सोमवार से लागू होंगी।

(विस्तृत समाचार : दैनिक जागरण 7.10.2013)

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635 •Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296